

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ` 724.46 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 16 दृष्टांतदर्शक लेखापरीक्षा अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभाग की निगरानी पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) की एक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2020-21 के दौरान ` 67,561.01 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ` 78,091.69 करोड़ थी। इसमें से, 77.82 प्रतिशत कर राजस्व (` 53,377.16 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (` 7,394.13 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 22.18 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (` 9,722.16 करोड़) तथा सहायता अनुदान (` 7,598.24 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ` 10,530.68 करोड़ (15.59 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 104 यूनितों के अभिलेखों की वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,552 मामलों में कुल ` 1,103.94 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 1,077 मामलों में आवेष्टित ` 643.07 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 64 मामलों में ` 3.52 करोड़ वसूल किए जिनमें से, ` 3.35 करोड़ की राशि के 39 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.)/करयोग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) पर मामलों का कर-निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, स्टॉक हस्तांतरण/प्रेषण बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी दावे को गलत वापस कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.04 लाख की कम इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी हुई।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.91 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग को सत्यापित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित नहीं किया था, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का मिलान न होने, निष्पादित देयताओं का मिलान न होने और टर्नओवर का मिलान न होने से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियमों के विपथन तथा प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 678.22 करोड़ की विसंगतियां/अनुपालन कमियां हुईं।

(अनुच्छेद 2.9)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने और आबंटियों से लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने की पहल नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री विलेख को रिलीज विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.91 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 20 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 32.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पार्टियों के बीच सहमति की अपेक्षा नौ हस्तांतरण विलेखों का कम मूल्यांकन किया। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने मार्किट कमेटी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) और उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) को सरकारी संस्था मानते हुए उन्हें ₹ 3.11 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से अनियमित छूट की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 4.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र के प्लॉटों के 14 बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि के बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

किसानों को 50 मामलों में स्टाम्प शुल्क से छूट की अनुमति दी गई थी, हालांकि उन्होंने प्राप्त मुआवजे से आवासीय/व्यावसायिक भूमि खरीदी थी, जिसकी नवंबर 2010 में जारी सरकार के आदेश के अनुसार अनुमति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेन-देन मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क प्रभारित किए बिना ग्राम पंचायत और जिला परिषद के क्षेत्रों में 176 बिक्री विलेख पंजीकृत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.17 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.10)

कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर 142 विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिन पर भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार ₹ 36.97 करोड़ के बजाय ₹ 18.22 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.75 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.11)

5. अध्याय-5

वित्त विभाग

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) के कार्यान्वयन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्यों की प्राप्तियों को जांचने के लिए निर्देश चिह्न परिभाषित नहीं किए गए थे। अपर्याप्त मान्यकरण नियंत्रण के कारण निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के उल्लंघन में बिलों की प्रोसेसिंग हुई। यूनिक आदाता कोड (यू.सी.पी.) के जनरेशन के दौरान पर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के अभाव के कारण अमान्य स्थाई लेखा संख्या (पैन) की स्वीकृति हुई और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता से समझौता हुआ। लेन-देन की हिस्ट्री पर नजर रखने के लिए पूर्ण ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं किया गया था। पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में अधिकतम सीमा से अधिक ग्रेच्युटी के भुगतान, पेंशन की दोहरी निकासी और छुट्टी यात्रा रियायत की दोहरी निकासी के मामले देखे गए थे।